राजस्व वाद संख्याः– 12/2021
GCMS NO.- 2021/44
सदाकौर आदि बनाम श्रीचन्द आदि
निर्णय दिनांकः– 26/7/21

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 12/2021
GCMS NO.- 2021/44

1. सदाकौर उर्फ बिमला पुत्री रामरख पत्नी शीशराम जाट निवासी भावठडी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं हाल आबाद लिखवा तहसील सूरजगढ।
2. कृष्णा पुत्री रामरख पत्नी धनसिंह जाट निवासी भावठडी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं हाल आबाद कालरी तहसील राजगढ जिला चुरू।

.....वादी

बनाम

1. श्री चन्द पुत्र रामरख जाति जाट निवासी भावठडी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
2. पंजाब नैशनल बैक शाखा प्रबन्धक चिडावा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ।

.....प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

–::निर्णय::–

दिनांक :– 26/7/21

वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–

1. यह है कि भावठडी तहसील सूरजगढ कृषि खसरा नम्बर 740 रकबा 5.77 है., खसरा नम्बर 747 रकबा 0.90 है. खसरा नम्बर 761 रकबा 0.55 है. किता 3 कुल रकबा 7.22 है. स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2. यह कि उक्त वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 740 रकबा 5.77 है., खसरा नम्बर 747 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 764 रकबा 0.55 है. किता 3 कुल रकबा 7.22 है. भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो कानुनन गलत है।

3. यह है कि हाल खसरा नम्बर 740 रकबा 5.77 है., खसरा नम्बर 747 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 764 रकबा 0.55 है. किता 3 कुल रकबा 7.22 है. गलत रूप से हाल सैटमेंट के दौरान विभाग ने अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई। जो गलत दर्ज कर दी गई। सैटलमेंट से पूर्व इस जमीनात के खातेदार काश्तकार वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज संयुक्त रूप सें दर्ज थे। रामरख की मृत्यु होने पर फौती नामान्तकरण खोलकर वादीयागण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा कराबर–बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे थे। उसी हिस्सानुसार काबिज काश्तकार है।

4. यह है कि सैटलमेंट विभाग ने उक्त वर्णित जमीनात का राजस्व रिकार्ड गलत रूप से प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज कर दिया कानुनन वाद पत्र में वर्णित जमीनात के 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार वादीयागण को भी दर्ज जाना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। सैटलमेंट विभाग को किसी खातेदार काश्तकार की खातेदारी समाप्त करने या किसी को खातेदार धोषित करने का अधिकार क्षेत्र नही है। ना ही सैटलमेंट विभाग का इस प्रकार के अपने क्षेत्राधिकार से बहार जाकर उपरोक्त भूमि जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैत्तृक है।

वादीयागण ने वाद पत्र पेश अनुतोष चाहा है किः–

(अ). कि ग्राम भावठडी तहसील सूरजगढ कृषि भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 5.77 है., खसरा नम्बर 747 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 764 रकबा 0.55 है. किता 3 कुल रकबा 7.22 है. का वादीयागण को 2/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाना फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

(ब). कि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 5.77 है., खसरा नम्बर 747 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 764 रकबा 0.55 है. किता 3 कुल रकबा 7.22 है.के गलत राजस्व रिकार्ड की आड में विक्रय या हस्तांतरण नही करे, ना ही कब्जा काश्त में दंखल करे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री अजय कुमार एडवोकेट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। इकबालिये जबाब पेश किया गया।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेजो में नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 415, मिलान क्षेत्रफल, भू–प्रबन्ध विभागका नामान्तकरण, जमाबंदी सं. 2030–33, नामान्तकरण, जमाबंदी सं. 2050–53 पेश किया गया।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादीयागण की ओर से प्रस्तुत इकबालिये जबाव , साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि रामरख के देहान्त के पश्चात उनके वारिसान श्रीचन्द पुत्र रामरख, सदाकौर, कृष्णा पुत्री रामरख हिस्सा1/3 जरिये नामान्तकरण संख्या 269 दिनांक 20.071976 को दर्ज हुआं। जिसका अगली जमाबंदी सं. 2030–33 में अमल दरामद हुआं है। किन्तु दौरान भू–प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही में वादीयागण का नाम हजफ कर केवल श्रीचंद का नाम दर्ज कर दिया है। जो की सैटलमेंट को बिना किसी आधार पर किसी काश्तकार का नाम राजस्व रिकार्ड में हटाने का अधिकार नही था। पक्षकारान का इकबालिये जबाब से आपसी सहमति है। वादीयागण ने वाद को महत्वपुर्ण व सुसंगत दस्तावेजो से सावित किया है। अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया [illegible]चित पाता है। अतः वाके ग्राम भावठडी तहसील सूरजगढ [illegible] 740 रकबा 5.77 है., खसरा नम्बर 747 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 7[illegible] रकबा 0.55 है. किता 3 कुल

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

रकबा 7.22 है. में वादीयागण को 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरुद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 26/7/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–12/2021
निर्णय दिनांक : 26/7/21.

सदाकौर आदि बनाम श्रीचन्द आदि

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

वादीयागण की ओर से श्री सोमवीर सिंह एडवोकेट की व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री अजय कुमार एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/7/21 को अभिलाषा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वादी के वाद को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भावठडी तहसील सूरजगढ कृषि भूमि खसरा नम्बर 740 रकबा 5.77 है., खसरा नम्बर 747 रकबा 0.90 है., खसरा नम्बर 764 रकबा 0.55 है. किता 3 कुल रकबा 7.22 है. में वादीयागण को 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबन्धित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26/7/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.12 14:16:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner